प्रकाशन हेतु अनुमोदि

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
युगल पीठ

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर,

प्रथम अपील (एम) संख्या 10/2006

अपीलकर्ता श्रीमती सुषमा चौरे,

बनाम

प्रत्यर्थीगण हेतेन्द्र कुमार बोरकर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्णय हेतु विचारार्थ)

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर,

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

(दिनांक 30/11/2009 निर्णय हेतु सूचीबद्ध)

सही/- न्यायाधीश

30/11/2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
युगल पीठ

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर,

प्रथम अपील (एम) संख्या 10/2006

अपीलकर्ता श्रीमती सुषमा चौरे, उम्र लगभग 36 वर्ष, पति हेतेन्द्र कुमार बोरकर, पिता आर.डी. चौरे, निवासी मिसिया बाड़ा, अंबेडकर वार्ड नंबर 7, डोंगरगढ़ , जिला राजनांदगांव |

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. हेतेन्द्र कुमार बोरकर, पिता
मनोहर बोरकर, उम्र लगभग 30 वर्ष
वर्ष, निवासी ए/80 कर्मचारी नगर, सिकोलभाठा, तहसील और जिला दुर्ग |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील।

उपस्थित:-
अपीलकर्ता की ओर से : श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी की ओर से : श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

निर्णय
(दिनांक 30/11/2009 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा द्वारा निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया :-

1. यह अपील कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी ने दुर्ग स्थित कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27/02/06 को व्यवहार वाद संख्या 305-अ/05 में पारित निर्णय एवं डिक्री की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है। जिसमें श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग ने पक्षकारों के बीच हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') की धारा 11 के अधीन विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया है।

2. निर्णय एवं डिक्री को इस आधार पर प्रश्नगत किया गया है कि अपीलार्थी का राकेश कुमार मेश्राम के साथ प्रथम विवाह होने का बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए, अधीनस्थ न्यायालय ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिकता कारित किया है।

3. इस अपील के निराकरण हेतु आवश्यक तथ्य, पक्षकारों के तर्को के अनुसार, ये हैं कि वर्तमान उत्तरदाता/वादी

ने अपने वादपत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपीलार्थी का अंबागढ़ चौकी निवासी राकेश कुमार

मेश्राम के साथ अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध के परिणामस्वरूप दो बार गर्भपात हुआ। वर्तमान

अपीलार्थी ने राकेश कुमार मेश्राम से विवाह किया था और पत्नी के रूप में उसके साथ निवास कर रही थी। उसने पूर्व में भी राकेश कुमार मेश्राम के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन हेतु एक आवेदन दायर किया था, और राकेश कुमार मेश्राम के साथ अपने प्रथम विवाह के वैवाहिक संबंध विद्यमान रहते हुए, स्वयं को अविवाहित बताकर उत्तरदाता के साथ विवाह कर लिया। वर्तमान अपीलार्थी के प्रथम विवाह के विद्यमान रहते किया गया द्वितीय विवाह, प्रथम विवाह की उपस्थिति के आधार पर शून्य है। उत्तरदाता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित करने हेतु याचिका प्रस्तुत की है।

4. वर्तमान अपीलार्थी/प्रतिवादी ने आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और तर्क दिया है कि अपीलार्थी का राकेश कुमार मेश्राम के साथ कोई अवैध संबंध नहीं था। दोनों पक्षों ने न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ की थी और आपसी समझौता किया था। ये तथ्य अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों द्वारा उत्तरदाता और उसके रिश्तेदारों को विवाह से पूर्व बता दिए गए थे। अपीलार्थी ने अपने प्रथम विवाह की वैधता काल में उत्तरदाता के साथ विवाह नहीं किया था। जब उसने उत्तरदाता के साथ विवाह किया, तब वह अविवाहित थी। पक्षकारों के तथ्यों के उल्लेख के आधार पर विवाद्यक विरचित किए गए और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ने उत्तरदाता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अंतर्गत दायर वाद का डिक्री पारित करते हुए विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

6. प्रश्नगत/आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने जोरदार तर्क दिया कि उत्तरदाता ने अपीलार्थी का राकेश कुमार मेश्राम के साथ प्रथम विवाह होने का तथ्य सिद्ध नहीं किया। वर्तमान अपीलार्थी का राकेश कुमार मेश्राम के साथ अवैध संबंध निर्विवादित है, तथा पक्षकारो के बीच विवाह संपन्न होने से पूर्व ही अपीलार्थी एवं उसके रिश्तेदारों ने इस तथ्य के बारे में उत्तरदाता और उसके संबंधियों को अवगत करा दिए थे। पक्षकारों के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 की खंड (1) का उल्लंघन नहीं करता। प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री विधि के अधीन संधारणीय नहीं है।

8. दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार विरोध करते हुए अपील का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त हैं कि वर्तमान अपीलार्थी का पूर्व में राकेश कुमार मेश्राम के साथ विवाह हुआ था, और राकेश कुमार मेश्राम के साथ उसके वैवाहिक संबंध विद्यमान रहते हुए उसने वर्तमान उत्तरदाता से विवाह किया। यह कृत्य हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 की खंड (1) का संभवतः उल्लंघन है, अतः पक्षकारों के बीच विवाह अकृत एवं शून्य है।

9. पक्षकारों के तर्कों का मूल्यांकन करने हेतु, हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया है। अपीलार्थी का उत्तरदाता के साथ विवाह के समय राकेश कुमार मेश्राम के साथ उसका प्रथम विवाह विद्यमान होने के साबित करने का भार उत्तरदाता पर था। उत्तरदाता हितेंद्र कुमार बोरकर (अ.सा.-1) ने अपनी गवाही में शपथपूर्वक बयान दिया कि दिनांक 25/06/2004 को उसने हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते हुए अपीलार्थी से विवाह किया। बाद में उसके व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर उसे ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी पहले से विवाहित थी तथा बिना प्रथम पति से तलाक लिए उसने उत्तरदाता से विवाह किया था। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी अपने प्रथम पति राकेश कुमार मेश्राम से दो बार गर्भवती हुई थी तथा अपीलार्थी एवं राकेश कुमार मेश्राम के बीच राजनांदगांव न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। मेथालाल मेश्राम (अभियोजन साक्ष्य-2) ने भी अपीलार्थी का राकेश कुमार मेश्राम के साथ प्रथम विवाह होने के तथ्य की पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान अपीलार्थी ने स्वयं को गवाह के रूप में परीक्षित कराया और शपथपूर्वक बयान दिया कि उसने उत्तरदाता के साथ विवाह किया था। उत्तरदाता के साथ विवाह से पूर्व, उसकी राकेश कुमार मेश्राम के साथ विवाह संबंधी समझौता हुआ था और वह राकेश कुमार मेश्राम के साथ आना-जाना करती थी। उसका राकेश कुमार मेश्राम के साथ लगभग डेढ़ वर्ष तक शारीरिक संबंध था, किंतु उसने कभी भी राकेश कुमार मेश्राम से विवाह नहीं किया। उसने यह भी बयान दिया कि अपने और राकेश कुमार मेश्राम के बीच विवाद को सुलझाने हेतु उन्होंने एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था। उसने उस व्यवहार वाद के दस्तावेजों की प्रतियाँ (डी-1) से (डी-5) तक प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तरदाता को विवाह से पूर्व इन सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। उसके गवाह राकेश कुमार मेश्राम (अपीलार्थी द्वारा उपस्थित किए गए गवाह) ने व्यवहार

वाद के तथ्य को स्वीकार किया और उसने शपथपूर्वक बयान दिया कि "अपीलार्थी उसकी पत्नी नहीं है और उसने कभी उससे विवाह नहीं किया"। उसकी ओर से उपस्थित साक्षी क्र. 3 संजय बाल्देकर ने बयान दिया कि "उत्तरदाता के साथ अपीलार्थी के विवाह से पूर्व ही, अपीलार्थी के राकेश कुमार मेश्राम के साथ पूर्व संबंधों संबंधी तथ्यों की जानकारी उत्तरदाता को पहले ही दे दी गई थी।"

11. (प्रदर्श पी-1), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तथाकथित राकेश कुमार मेश्राम के विरुद्ध दायर आवेदन का प्रमाणित प्रति है, जिसमें वह स्वयं को राकेश कुमार मेश्राम की वैध पत्नी दर्शाती है।

(प्रदर्श पी-1 सी), व्यव्हार वाद संख्या 251-अ/01 की दिनांक 06/02/2003 के आदेश पत्रक की प्रति है, जिससे प्रकट होता है कि राकेश कुमार मेश्राम और वर्तमान अपीलार्थी ने आपसी समझौता किया था। (प्रदर्श डी-1 से डी-5) भी उसी व्यवहार वाद से संबंधित हैं और समझौते से जुड़े हैं। दस्तावेज़ (प्रदर्श डी-1 से डी-4) से ज्ञात होता है कि ये व्यवहार वाद संख्या 251-अ/01 से संबंधित हैं, जिसका समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हुआ था। यह वाद दिनांक 06/02/2003 को, अपीलार्थी के वर्तमान उत्तरदाता के साथ विवाह से पूर्व, राजनांदगांव के व्यव्हार न्यायाधीश वर्ग-2 के समक्ष लंबित था। (प्रदर्श पी-1) से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने धारा 9 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था, जो राजनांदगांव के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार वाद संख्या 36-अ/01 में लंबित था। (प्रदर्श डी-5) से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी और राकेश कुमार मेश्राम ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव के समक्ष लंबित व्यवहार वाद में भी समझौता किया था। (प्रदर्श डी-5) (समझौता आवेदन की प्रति) से स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलार्थी राकेश कुमार मेश्राम की पत्नी नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दोनों पक्षों ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलार्थी और उसके गवाहों के साक्ष्य यह साबित करने हेतु पर्याप्त हैं कि वर्ष 2003 से पूर्व लगभग डेढ़ वर्ष तक उसका राकेश कुमार मेश्राम के साथ शारीरिक संबंध था। उसने राकेश कुमार मेश्राम के साथ विवाह के आरोपों का खंडन किया है, किंतु स्वयं और राकेश के बीच न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ किये जाने व निराकृत किये जाने को स्वीकार किया है। अपीलार्थी ने यह भी स्वीकारा कि अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत प्रस्तुत आवेदन (प्रदर्श पी-1) दिनांक 25/01/2001 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने स्वयं को

राकेश कुमार मेश्राम की पत्नी और राकेश को अपना पति घोषित करते हुए आवेदन दिया था। (प्रदर्श पी-1) दिनांक 25/01/2001 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी की पहली शादी के अस्तित्व के दौरान अपीलार्थी के साथ उत्तरदाता के विवाह को साबित करने का भार उत्तरदाता पर था। भार का निर्वहन करने और तथ्य को साबित करने के लिए, अपीलकर्ता ने इसकी प्रति दाखिल की है राकेश कुमार मेश्राम के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम 1955 के धारा 9 के तहत प्रस्तुत आवेदन, जिसमें उसने खुद को और राकेश कुमार मेश्राम को पति-पत्नी दिखाया था, पहली शादी को गलत साबित करने का भार अपीलकर्ता पर आ गया। अपीलकर्ता और उसके गवाह राकेश कुमार मेश्राम ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनके विवाह के समझौते के आधार पर उनके बीच अवैध संबंध थे। इसलिए, विवाद को सुलझाने के लिए अपीलकर्ता ने व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की थी। अपीलकर्ता ने गवाही दी है कि राकेश कुमार मेश्राम उसके पति नहीं थे। राकेश कुमार मेश्राम ने यह भी गवाही दी है कि अपीलकर्ता उसकी पत्नी नहीं थी। प्रकरण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है यदि अपीलार्थी ने राकेश कुमार मेश्राम से विवाह नहीं किया था तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए राकेश कुमार मेश्राम के खिलाफ अधिनियम 1955 के धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने का कोई औचित्य नहीं था, बाद के दस्तावेज से पता चलता है कि अपीलार्थी और राकेश कुमार मेश्राम के बीच अन्य व्यवहार वाद भी लंबित था जिसमें उन्होंने समझौता किया था, (प्रदर्श पी-1)/अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 1955 के धारा 9 के तहत प्रस्तुत याचिका की एक सत्यापित प्रति यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1998 में राकेश कुमार मेश्राम से विवाह किया था। अपीलार्थी और राकेश कुमार मेश्राम का यह साक्ष्य कि वे पति और पत्नी नहीं हैं, यह दर्शाता है कि वे इस आधार पर सच्चाई को छिपा रहे हैं कि अपीलार्थी के उत्तरदाता से विवाह के बाद उन्होंने खुद को एक दूसरे से अलग कर लिया है। (प्रदर्श पी-1) राकेश कुमार मेश्राम के खिलाफ अपीलकर्ता की ओर से दायर दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए एक याचिका है, जो राकेश कुमार मेश्राम के साथ अपीलकर्ता की वैध शादी की धारणा बनाने के लिए पर्याप्त है और बाद के दस्तावेज और सबूत अनुमान लगाने या इस बात का भार स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि उन्होंने कभी शादी नहीं की है। वर्तमान अपीलकर्ता ने विधि के अनुसार स्वीकार्य किसी भी तरीके से उसके और राकेश कुमार मेश्राम के बीच तलाक या उनके बीच विवाह विच्छेद का न तो अनुरोध किया है और न ही उसे साबित किया है। ऐसी अनुरोध और साबित के अभाव में एकमात्र अनुमान यह संभव था कि अपीलकर्ता उत्तरदाता के साथ अपनी शादी के समय अविवाहित नहीं थी और उसने राकेश कुमार मेश्राम के साथ अपनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहली शादी के अस्तित्व के दौरान उत्तरदाता के साथ अधिनियम 1955 के धारा 5 के खंड-1 का उल्लंघन करते हुए विवाह किया था और ऐसा विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार अकृत एवं शून्य है|

13. अधिनियम 1955 की धारा 5 और धारा 11 इस प्रकार है:-

5. **हिंदू विवाह की शर्तें - कोई भी दो हिंदुओं के बीच विवाह तभी संपन्न किया जा सकता है, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, अर्थात् –**

(i) **विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी (पति या पत्नी) न हो;**

(ii) विवाह के समय, कोई भी पक्ष-

(क) चित्तविकृति के कारण विवाह के लिए वैध सहमति देने में असमर्थ न हो; या

(ख) यद्यपि वैध सहमति देने में सक्षम हो, किंतु मानसिक विकार से इस प्रकार या इस सीमा तक ग्रस्त हो कि विवाह तथा संतानोत्पत्ति के योग्य न हो; या

(ग) पागलपन के आवर्ती आघातों (बार-बार दौरे) से ग्रस्त न हो;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) विवाह के समय वर की आयु इक्कीस वर्ष पूरी हो चुकी हो और वधू की आयु अठारह वर्ष पूरी हो चुकी हो;

(iv) पक्षकार परस्पर निषिद्ध संबंध की डिग्री के अंतर्गत न हों, सिवाय इसके कि उनमें से प्रत्येक पर लागू होने वाली कोई प्रथा या रिवाज ऐसे दोनों के बीच विवाह की अनुमति देता हो;

(v) पक्षकार परस्पर एक-दूसरे के सपिंड न हों, सिवाय इसके कि उनमें से प्रत्येक पर लागू होने वाली कोई प्रथा या रिवाज ऐसे दोनों के बीच विवाह की अनुमति देता हो।

11. शून्य विवाह- इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् संपन्न कोई भी विवाह अकृत एवं शून्य होगा तथा उसके किसी भी पक्षकार द्वारा, दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर, यदि वह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो शून्यता डिक्री (Decree of Nullity) द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा।

धारा 11 तथा धारा 17 (एकविवाह) संविधान के अनुच्छेद 15(1) से असंगत नहीं हैं।

14. पक्षकारों के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत, माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपीलकर्ता ने अपने प्रथम विवाह की विद्यमानता के दौरान उत्तरदाता से पुनर्विवाह किया था। अतः कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने पक्षकारों के बीच हुए इस विवाह को 1955 के अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अकृत एवं शून्य घोषित कर दिया।

15. पक्षकारों के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरांत, हमें आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता या दोष परिलक्षित नहीं होता जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। परिणामस्वरूप, अपील गुणविहीन है एवं खारिज की जाने योग्य है, अतः इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

16. वाद-व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. डिक्री तदनुसार तैयार की जाए।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS